म0प्र0राज्य कृषि विपणन बोर्ड
26, किसान भवन, अरेरा हिल्स, जेल रोड,भोपाल

क्र0/निर्माण/पेमेन्ट काउन्टर/दिशा–निर्देश/19–20/606 भोपाल, दिनांक:31/05/19

प्रति,

संयुक्त संचालक/उप संचालक,
म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड
आंचलिक कार्यालय..................(समस्त)
(म0प्र0)

विषय:–मंडी प्रांगणों में कृषको के भुगतान हेतु पेमेन्ट काउन्टर निर्माण किये जाने के संबंध में ।

विषयान्तर्गत मण्डी प्रांगणों में कृषकों का भुगतान मंडी प्रांगण में ही होना सुनिश्चित करने के लिए प्रस्तावित पेमेन्ट काउन्टर निर्माण कार्य की ड्राइंग एवं अनुमानक संलग्न कर प्रेषित है।

पेमेन्ट काउन्टरो के निर्माण/रख–रखाव व संचालन के संबंध में दिशा–निर्देश संलग्न कर प्रेषित है। कृपया इस संबंध में तत्काल आवश्यक कार्यवाही किये जाने का कष्ट करें।

संलग्न:–दिशा–निर्देश।

(फैज अहमद किदवई)
आयुक्त सह प्रबंध संचालक
म0प्र0राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

क्र0/निर्माण/पेमेन्ट काउन्टर/दिशा–निर्देश/19–20/607 भोपाल, दिनांक:31/05/2019

प्रतिलिपि:–

1. कार्यपालन यंत्री, म0प्र0राज्य कृषि विपणन बोर्ड, तकनीकी संभाग...............की ओर भेजकर लेख है, कि मंडी प्रांगणों की भूमि के अनुसार अनुमानक में संशोधन कर आवश्यकतानुसार स्वीकृति की कार्यवाही करें।

2. सचिव, कृषि उपज मण्डी समिति................जिला...............की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आयुक्त सह प्रबंध संचालक
म0प्र0राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

दिशा–निर्देश

1. मंडी समिति व्यापारियों से चर्चा कर प्रांगण में पेमेन्ट काउन्टरों का निर्माण कार्य करा सकेंगी।

2. पेमेन्ट काउन्टरों का उपयोग कृषकों को भुगतान हेतु व्यापारियों द्वारा किया जा सकेगा।

3. पेमेन्ट काउन्टर मात्र अस्थाई तौर पर उपयोग के लिए प्रांगण में क्रय करने वाले व्यापारियों को उपलब्ध कराये जा सकेंगे।

4. पेमेन्ट काउन्टरों का उपयोग मात्र कृषकों को भुगतान करने के लिए किया जायेगा एवं इस हेतु किसी प्रकार के किराये आदि देय नहीं होगा।

5. पेमेन्ट काउन्टरों का संचालन व्यापारियों की समिति एवं प्रांगण प्रभारी के द्वारा किया जावेगा।

6. पेमेन्ट काउन्टर में विद्युत, पानी की व्यवस्था मंडी समिति द्वारा की जावेगी। संरचना का रख–रखाव/मरम्मत आदि मंडी बोर्ड के तकनीकी अमले द्वारा किया जावेगा।

7. कृषकों/व्यापारियों की सुविधा के लिए निर्मित किये जाने वाले पेमेन्ट काउन्टर भवन/शेड का निर्माण मंडी निधि से किया जायेगा। मंडी निधि न होने की स्थिति में बोर्ड निधि से कार्य कराया जा सकेगा।

8. पेमेन्ट काउन्टर में मध्य के हिस्से का उपयोग व्यापारियों द्वारा बैठक के लिए किया जा सकेगा।

9. एक व्यापारी को एक कक्ष ही अस्थाई तौर पर उपयोग के लिए प्रदाय किया जा सकेगा।

10. पेमेन्ट काउन्टर पर किसी भी व्यापारी/अन्य व्यक्ति के द्वारा किसी भी प्रकार का कोई स्थाई कब्जा नहीं किया जायेगा। इसकी जबाबदारी व्यापारी, समिति तथा प्रांगण प्रभारी की रहेगी।

11. अन्य दिशा–निर्देश मंडी समिति/व्यापारी संघ आपसी सहमति से निर्धारित कर सकेगें।

(फैज अहमद किदवई)
आयुक्त सह प्रबंध संचालक
म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल